बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.)

सार्वजनिक निलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एक्ट 2002 (2002 का सं. 54) नियम 8 व 9 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एक्ट 2002 के अधीन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित वर्णित विवरण वाले ऋणियों को नोटिस जारी किया है और तत्पश्चात् बन्धक सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 नियम 8 व 9 के अंतर्गत जो है, जैसी है, जहॉ है, और जितनी भी उपलब्ध है, के आधार पर **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.)** पर टेण्डर नीलामी द्वारा विक्रय का निर्णय लिया है। ऋणियों, बकाया ऋण, आरक्षित मूल्य एवं स्थावर सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है : –

ऋणियों का नाम	सम्पत्ति मालिक का नाम एवं स्थावर सम्पत्ति का विवरण (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार)	आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि रूपयों में	मांग पत्र की तिथि व राशि/वर्तमान बकाया राशि	नीलामी की दिनांक व समय
श्रीमती ललिता शर्मा पत्नि श्री ओम प्रकाश शर्मा एवं श्री ओम प्रकाश शर्मा	श्रीमती ललिता शर्मा पत्नि श्री ओम प्रकाश शर्मा का राजस्व ग्राम मलाण मे आराजी नं. 1180 मे भूखण्ड सं. बी–468/2 नपती 12 फीट 6 इंच बाई 38 फीट (क्षेत्रफल 55.56 वर्ग गज) विवेकानंद नगर क्षेत्र भीलवाड़ा तह. भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आवासीय सम्पत्ति **सीमाएं : –** पूर्व में भूखण्ड सं. बी–468/1, पश्चिम में भूखण्ड सं. बी–468/3, उत्तर में ओपन , दक्षिण में सड़क 20 फीट.	आरक्षित मूल्य रू.9,00,000/– (नौ लाख रूपये) **धरोहर राशि** रू.90,000/– (नब्बे हजार रूपये)	दिनांक 03.08.2016 रू.13,25,505/– दिनांक 27.07.2016 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे वर्तमान बकाया रू. 14,38,561/– दि.28.04.2017 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे	दिनांक 05. 06.2017 दोपहर 2:30 बजे (प्राधिकृत अधिकारी विवेकानुसार समय बढ़ा सकता है।)

1. इच्छुक खरीददार अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) शाखा में तथा बेवसाईट www.brkgb.com पर उपलब्ध) पर अपने द्वारा प्रस्तावित मूल्य लिखकर एवं सील बन्द लिफाफे में धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.), के पक्ष में हो, के साथ नीलामी की तिथि से पूर्व कार्य दिवस तक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) पर या नीलामी की तिथि को नीलामीकर्ता के पास नीलामी स्थल पर सुबह 10:00 बजे के पश्चात् एवं निविदा खोलने से पूर्व जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते है। निविदा खोलने के पश्चात समस्त निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प नीलीमीकर्ता के पास सुरक्षित है।

2. अधिकतम राशि की निविदा के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक रखा जायेगा तथा शेष निविदाकारों के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नीलामी के तुरन्त बाद सम्बन्धित निविदाकारों को लौटा दिया जायेगा। अधिकतम निविदाकार को नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही नीलामी के तुरन्त बाद जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) के पक्ष में हो, नीलामीकर्ता के पास जमा करानी होगी, लेकिन विशेष परिस्थतियों में निविदाकार को 24 घण्टे के अन्दर यह राशि जमा कराने की अनुमति दी जा सकती है। धरोहर राशि को भी इस राशि में समायोजित किया जायेगा। यदि निविदाकार उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं कराता है तो 10 प्रतिशत की धरोहर राशि जब्त समझी जायेगी, एवं इस परिस्थिति में अन्य निविदाकार जिसका प्रस्ताव अधिकतम हो को विक्रय करने पर विचार किया जा सकता है।

3. शेष 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा जारी मांग पत्र पर से पन्द्रह दिवस के अन्दर जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) के नाम देय हो, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) की शाखा के शाखा प्रबन्धक को जमा करानी होगी अन्यथा पूर्व में जमा 25 प्रतिशत राशि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) में जब्त समझी जायेगी।

4. नीलामी की अन्य शर्त निविदा प्रपत्र में वर्णित निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। सम्पति जो है, जैसी है, जहॉ है, और जितनी भी उपलब्ध है, की स्थिति में बेची जायेगी। उपरोक्त वर्णित विवरण क्षेत्रफल व सीमाएं बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार है। मौके पर भिन्न स्थिति होने पर प्राधिकृत अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सम्पत्ति हस्तान्तरण व विक्रय विलेख निष्पादित करवाने में लगने वाले समस्त व्यय यथा रजिस्ट्रेशन व्यय, स्टाम्प डयूटी एवं हस्तान्तरण फीस, इत्यादि क्रेता द्वारा ही वहन की जायेगी। बन्धक सम्पत्ति पर बैंक को किसी भी प्रकार के भार व अन्य दावों की जानकारी नहीं है। प्रस्ताव की तिथि को उससे पूर्व या उसके बाद सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी तरह के चार्जेज, टैक्स या अन्य दायित्वों (यदि कोई हो तो) का वहन क्रेता को ही करना पडेगा जिसके लिये बैंक प्रतिभूत लेनदार जिम्मेदार नहीं होगा।

5. नीलामी की अन्य शर्ते नीलामीकर्ता द्वारा मौके पर ही सूचित की जायेगी। सम्पत्ति एवं नीलामी के बारे में अधिक जानकारी के लिये बेवसाईट www.brkgb.com या अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट :– इस सूचना द्वारा उपरोक्त ऋणियों व जमानतियों को सूचित किया जाता है कि कब्जाकृत सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी ने सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय का निर्णय लिया है, परन्तु नीलामी तिथि से पूर्व किसी भी समय बैंक की बकाया रकम मय ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाने पर नीलामी रोक दी जायेगी। यदि आपके पास कोई उचित मूल्य देने वाला क्रेता उपलब्ध है तो नीलामी तिथि तक अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें। आशा की जाती है कि ऋणी इस सम्पत्ति के उचित मूल्य पर एवं शांतिपूर्ण ढंग से विक्रय में सकारात्मक सक्रिय सहयोग देंगे। यह नोटिस ऋणीयों व गारन्टरों को प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के अंतर्गत 30 दिवस का नोटिस भी है।

दिनांक : 29.04.2017
स्थान : भीलवाड़ा

प्राधिकृत अधिकारी
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,